भारतीय मानचित्र पर हिमाचल का उदय

हिमालयी प्रांत के रूप में अलग पहचान तक का सफरनामा

● सत्या कंवर

15 अप्रैल, 1948 को अस्तित्व में आये इस हिमालयी प्रांत के गठन की पृष्ठभूमि बेहद जटिल तथा पेचीदी थी। जिन परिस्थितियों में यह प्रांतीय अस्मिता उभरी वह अन्यत्र किसी भी प्रांत के गठन में नहीं देखी गई।

सर्वप्रथम, 21 पहाड़ी रियासतों एवं उनकी 9 जागीरों का एकीकरण अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। यह रियासतें केवल आर्थिक विषमताओं एवं सामाजिक तौर से पिछड़ी नहीं थी अपितु राजनैतिक तौर पर भी गंभीर रूप से विभाजित थी। कुछ रियासतें बहुत छोटी थी और इनकी वार्षिक आय ब्रिटिश इंडिया के किसी कारीगर की आमदनी से ज्यादा नहीं थी। भाषाई, धार्मिक स्रोतों और सांस्कृतिक धरोहर की समानता वाले इस समूचे क्षेत्र के छोटे-छोटे राजाओं के आपसी झगड़े आम बात थी। ऐसी पृष्ठभूमि में इस क्षेत्र के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय ब्रिटिश सरकार एवं प्रजामण्डल आंदोलनों को जाता है।

ब्रिटिश साम्राज्य की 'फूट डालो और राज करो' की नीति के चलते हुए ब्रिटिश सरकार को इस क्षेत्र के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय देना यद्यपि अप्रासंगिक लगता है लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि अंग्रेजों ने न केवल इस क्षेत्र की समूची रियासतों को एक केन्द्रीय नियंत्रण में लिया बल्कि यहां जो प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधार के कार्य हुए उनसे इन राज्यों के प्रमुखों को समीप लाने में बहुत मदद मिली।

हिमालयन हिल स्टेट्स के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया 1815 ब्रिटिश गोरखा युद्ध की समाप्ति पर शुरू हुई। इस क्षेत्र के राजाओं ने कुछ एक को छोड़कर, इस युद्ध में ब्रिटिशों की सहायता की और गोरखों की हार के दो परिणाम हुए: अंग्रेजों को पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में अपने पांव जमाने का अवसर मिला और साथ ही अंग्रेजों एवं राजाओं के आपसी सहयोग से गोरखों के विस्तार पर रोक लगी। फलत: इन रियासतों को एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया शुरू हुई जो हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने में नींव का काम कर गई। इस क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को आंकते हुए ब्रिटिश सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए। राज्यों के आर्थिक स्रोतों की कमी को देखते हुए सेवाओं के समूहीकरण की शुरूआत की गई इसमें न्यायिक, पुलिस, वन तथा अन्य अनिवार्य सेवाएं शामिल थीं। राज्यों के मामूली आर्थिक स्रोत इकट्ठे किए गए और अंग्रेजों और रियासतों के प्रशासन को अंदरूनी तनाव और विद्रोहों को नियंत्रित करने एवं प्रभावी प्रशासन देने के साथ ही इन रियासतों का राजनीतिक एकीकरण हुआ जिसके फलस्वरूप 1947 में राजाओं ने हिल स्टेट्स संगठन का गठन किया।

इस प्रक्रिया के चलते, व्यवस्था के विरूद्ध इन रियासतों में चेतना का विकास हो रहा था और 1930 के दशक में हर रियासत में प्रजा मण्डल गठित किए गए। 1946 में टिहरी से चम्बा तक 48 पहाड़ी रियासतों के प्रजा मण्डलों का एकछत्र संगठन बनाया गया। प्रजा मण्डलों के आंदोलन का चरित्र सर्वत्र एक सा था। राजा-रजवाड़ों द्वारा सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक एवं समान मनोवैज्ञानिक बनावट के स्तर पर समानता वाले इस क्षेत्र को छोटी-छोटी रियासतों की सीमाओं से बांटकर रखा गया था। प्रजामण्डलों की गतिविधियों से जन मानस ने इन सीमाओं को तोड़कर अपनी सामाजिक भाषाई एवं सांस्कृतिक समानताओं के साथ पहचान की। जनमानस के स्तर पर यह एकीकरण स्वाभाविक था और यह आने वाले समय में हिमालयी क्षेत्र में प्रांत के गठन की मांग को लेकर महत्वपूर्ण साबित हुआ।

पहाड़ी रियासतों का विलय कर हिमाचल प्रदेश के गठन की मांग 1939 से उठ रही थी और 1946 तथा 1947 में कश्मीर से लेकर नेपाल तक पूरे हिमालयी क्षेत्र को एक सूत्र में गठित करने की मांग प्रजामण्डल आंदोलन की प्रमुख मांग बनकर उभरी। प्रजामण्डल नेतृत्व यह जानता था कि इन रियासतों की लघुता, आर्थिक अव्यवहार्यता तथा पिछड़ा प्रशासनिक ढांचा ऐसे मुख्य कारण थे जिससे इन रियासतों का अलग- अलग प्रांतों के रूप में स्वतन्त्र भारत में कोई स्थान नहीं था।

पहाड़ी रियासतों का विलय कर हिमाचल प्रदेश के गठन की मांग 1939 से उठ रही थी और 1946 तथा 1947 में कश्मीर से लेकर नेपाल तक पूरे हिमालयी क्षेत्र को एक सूत्र में गठित करने की मांग प्रजामण्डल आंदोलन की प्रमुख मांग बनकर उभरी। प्रजामण्डल नेतृत्व यह जानता था कि इन रियासतों की लघुता, आर्थिक अव्यवहार्यता तथा पिछड़ा प्रशासनिक ढांचा ऐसे मुख्य कारण थे जिससे इन रियासतों का अलग-अलग प्रांतों के रूप में स्वतन्त्र भारत में कोई स्थान नहीं था। ऐसी हालत में इन रियासतों का भारत गणराज्य में विलय करवा कर पूर्वी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में विलय की संभावना थी। इस समय प्रजामण्डल आंदोलन दो धड़ों में बंटा हुआ था और दोनों धड़े अपने स्तर पर एक अलग प्रांत की मांग कर रहे थे। इसके इलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी कई प्रजामण्डल यह मांग कर रहे थे। 26 मार्च, 1946 को चम्बा प्रजामण्डल ने कश्मीर से नेपाल तक समान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में रह रहे लोगों को एक राजनीतिक इकाई (जिसका नाम 'हिमालय' सुझाया गया) का गठन करने की मांग थी। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश भारत के कांगड़ा और शिमला क्षेत्र के विलय की भी मांग की गई।

1946 में सत्यदेव बुशैहरी ने प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर इस क्षेत्र के उचित क्षेत्रीय विकास एवं जनमानस की समान सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समानताओं वाले क्षेत्र को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की। हिन्दी हिन्दुस्तान के एक लेख में बुशैहरी ने कश्मीर से नेपाल एवं कालका से तिब्बत तक एक राज्य के गठन की मांग करते हुए कहा कि यह प्रांत आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाई होगी। प्रजामण्डल के दूसरे धड़े के नेता शिवानन्द रमौल ने भी एक प्रस्ताव द्वारा अलग प्रांत की मांग की। दिसम्बर 21-22, 1947 को फिर एक प्रस्ताव द्वारा 'हिमालय प्रांत' के गठन की मांग की गई।

भाषा, संस्कृति, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की समानता को आधार बनाकर अलग प्रांत के गठन की मांग कोई नई रणनीति नहीं थी। न ही ऐसी मांगें असाधारण रही हैं। पर यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि इन मांगों को लेकर एक पहाड़ी अस्मिता उभर कर सामने आई। राष्ट्रीयता के पैमानों के साथ प्रजामण्डल की मांगों में जोर पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोगों के रहन-सहन और रीति-रिवाजों की भिन्नता को लेकर भी रहा। इसका एक कारण प्रजामण्डल नेतृत्व एवं आम जनता के मन में पहाड़ी रियासतों के पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में विलय और पहाड़ों में रहने वाली भोली-भाली जनता के संभावित शोषण का भय था। यह भय आधारहीन नहीं था। इस तरह की पहाड़ी अस्मिता का उभरना राज्यों के गठन को लेकर एक उल्लेखनीय घटना थी।

प्रजामण्डल की हिमालय क्षेत्र में अलग प्रांत की मांग स्वाभाविक थी। पर आल इंडिया स्टेट्स पीपल्ज कांफ्रेंस (प्रजामण्डलों का केन्द्रीय संगठन) ने कहा कि रियासतों का भारत गणराज्य में विलय करने के बाद जो प्रांत गठित किये जाये उनकी जनसंख्या 20 लाख, राजस्व 50 लाख से ज्यादा एवं उनका प्रशासनिक ढांचा आधुनिक प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता हो।

साथ ही 1946 के उदयपुर अधिवेशन में प्रजामण्डल के केन्द्रीय संगठन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो रियासतें इस कसौटी पर खरी नहीं उतरेंगी उनका पड़ोसी प्रांतों में विलय करवाया जायेगा। पर पहाड़ी रियासतों की जनता को इस बात की राहत थी कि प्रजामण्डल के केन्द्रीय संगठन के प्रस्ताव में यह भी शामिल था कि किसी क्षेत्र में अगर सांस्कृतिक गुण एवं दूसरे कारण निहित हो वहां यह शर्तें लागू नहीं होंगी। दूसरी ओर कोई भी हिमालयी रियासत प्रजामण्डल के केन्द्रीय संगठन के मानदण्डों को पूरा नहीं कर पाती थी।

ऐसी स्थिति में छोटी-छोटी रियासतों के पास रियासतों के समूह बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एआईएसपी नेता पी.एल. चुडगार जो रियासतों के समूहीकरण से बड़ी इकाइयां बनाने के पक्षधर थे, ने हिमालयी रियासतों के उत्तर प्रदेश अथवा पूर्वी पंजाब में विलय की वकालत की। एआईएसपीसी नेता मासूरकर ने इन रियासतों के मामले में दक्षिण रियासतों की यूनियन स्कीम का अनुसरण करने की वकालत की। इस स्कीम को पदमदेव, परमार प्रजामण्डल धड़े ने भी सराहा क्योंकि इसमें सारी शक्तियां जन संसद के पास थी तथा शासक मण्डल महज एक परामर्शदात्री संस्था थी। सत्यदेव बुशैहरी ने 16 नवम्बर, 1947 के उर्दू मिलाप में इन रियासतों के समूहीकरण की मांग को प्रशासनिक खर्चे कम करने तथा जनता के रहन-सहन के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। बी पट्टाभि जो छोटी रियासतों के पड़ोसी प्रांतों में विलय के पक्षधर थे, ने 25 अगस्त, 1947 को एक प्रेस विज्ञप्ति में इन सारी रियासतों के विलय से तिब्बत से कालका एवं चम्बा से टिहरी तक एक पहाड़ी प्रांत के गठन को यहां रहने वाली जनता के भौगोलिक एवं आर्थिक हित में बताया।

छोटी-छोटी रियासतों के राजनीतिक बिखराव के बावजूद इन रियासतों के राजनैतिक एकीकरण की प्रक्रिया हालांकि ब्रिटिश सरकार के अपने पश्चिमी हिमालय में हितों की रक्षा के लिए गए उपायों से शुरू हुई पर प्रजामण्डलों के आंदोलन का 1946-47 के काल में हिमालयी क्षेत्र में एक अलग प्रांत की मांग को लेकर जिस तरह राष्ट्रीयता के तत्वों तथा अलग पहाड़ी अस्मिता का अलग रूप निर्धारित हुआ, 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भारतीय रियासतों के विलय की समस्या संघीय सरकार के लिए कमरतोड़ कवायद थी। प्रभुसत्ता के बिखराव से यह समस्या और गहरा गई। इंडिया इंडिपेन्डेन्स बिल के आने के पश्चात् इन रियासतों का भारत संघ से वही सम्बन्ध था जो अंग्रेजों से था। हिमालयन हिल स्टेट्स की समस्या पिछड़ी राजनैतिक-आर्थिक स्थिति की वजह से और भी गंभीर थी। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने इस समस्या पर खूब व्यंग्य कसा। यह रियासतें जिनकी जनसंख्या औसतन 3,000 और आमदनी 22,000 रुपये सालाना थी और आज तक जो छोटे-मोटे झगड़े निपटाती थी अब जनता की जिंदगी और मौत का फैसला करेगी।

इन हालातों के मद्देनजर शिमला हिल स्टेटस पर नियंत्रण रखने के लिए एक क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति की गई। समस्या की गंभीरता की हद का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि कुछ रियासतें श्री जिन्ना से भी गुप्त रूप से बात चली रही थी। प्रजामण्डल में बिखराव एवं मतभेदों के चलते इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाने एवं एक नये प्रांत के गठन को लेकर अलग-अलग कार्य नीतियां एवं रणनीतियां तय की गईं।

शिमला हिल स्टेट्स के शासकों की नयी दिल्ली में जुलाई 1947 में एक बैठक हुई जिसमें इन रियासतों की एक यूनियन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, तत्पश्चात् जनवरी 5-6, 1948 को फिर एक बैठक में यह फैसला किया गया कि सारी रियासतें अपने आर्थिक स्रोतों को एकजुट करें व राज्यों का संघ बनाया जाये। इस फैसले को प्रारूप देने के लिए एक संविधान निर्मात्री संस्था बनाई गई जिसमें कुछ शासक एवं कुछ प्रजामण्डल नेतागण सहित 39 सदस्य थे। साथ ही एक वार्ता कमेटी बनाई गई जिसका उत्तरदायित्व भारत सरकार से नये प्रांत बनाने के लिए बातचीत करना था।

इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए 26-28 जनवरी, 1948 को सोलन में बैठक की गई जिसमें श्री भागमल सौहटा, श्री सत्यदेव बुशैहरी, श्री भास्करानन्द, श्री विजय कुमार, श्री टी.एस. नेगी सहित अन्य प्रजामण्डल के नेता मौजूद थे। यहीं पर सत्यदेव बुशैहरी ने एक प्रस्ताव पारित करवाकर प्रस्तावित प्रांत का नाम हिमाचल प्रदेश' रखा। इससे पहले भी नये प्रांत की मांग के साथ कई नाम जैसे कैलाश देश, हिमालय प्रांत, विराट देश इत्यादि सामने आये थे। परन्तु हिमाचल प्रदेश नाम लोकप्रिय हुआ। यहां पर प्रस्तावित संघ को एक ऐसी लोकतांत्रिक इकाई कहा गया जिसकी शक्तियां जनता में निहीत होती हो।

8 मार्च, 1948 को भारत सरकार एवं शासकों के बीच विलय के मसौदे पर दस्तखत किये गये। इसके तहत विलय की गई रियासतों से एक केन्द्र शासित प्रदेश का गठन करके जो ले. गवर्नर के अधीन हो तथा इसके साथ एक तीन शासकों की सलाहकार समिति के गठन जैसे महत्वपूर्ण विषय थे।

एक मार्च, 1948 को श्री भागमल सौहटा ने सरदार पटेल को पंजाब एवं शिमला हिल स्टेट्स की ग्रुपिंग पर एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि पहाड़ों की जनता का रहन- सहन, संस्कृति एवं आर्थिक हित उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पंजाब के मैदानी इलाकों से बहुत भिन्न होने के कारण एक अलग प्रांत का गठन ही पहाड़ी जनता की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन प्रस्तावित क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख और आमदनी 175 लाख आंकी गई। प्राकृतिक स्रोतों जैसे जल विद्युत योजनाएं, बागबानी, वन, खनिज इत्यादि के दोहन से प्रस्तावित प्रांत की आमदनी कई गुणा बढ़ सकती है ज्ञापन में यह बात जोर देकर कही गई।

संघ योजना के प्रति प्रतिक्रियाएं

डॉ. परमार ने इस योजना को शासकों द्वारा अपनी यथास्थिति बनाए रखने की साजिश बताया। उनके ग्रुप के कुछ कार्यकर्ताओं ने सोलन बैठक को भंग करने की कोशिश भी की। स्टेट्स मंत्रालय ने इस स्कीम को भंग करने एवं इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करवाकर एक केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की सोच को सामने लाया। बी. पट्टाभि ने शासकों को चेतावनी दी कि वे हिमालय क्षेत्र की शांति भंग न करें।

फरवरी 10-11, 1949 को कुछ प्रजामण्डल लीडर बी. पट्टाभि से मिले। ये फैसला लिया गया कि पहाड़ी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए सरदार पटेल के हाथ मजबूत करने के लिए, एक जोरदार प्रोपेगंडा करके ऐसा माहौल बनाया जाये कि इन रियासतों का विलय आसानी से किया जा सके। इस योजना को परमार पद्म देव ग्रुप ने अमली जामा पहनाने के लिए 16 फरवरी, 1948 को सुकेत रियासत के खिलाफ सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। यहीं पर हिमालयी प्रांतीय सरकार का गठन किया गया और श्री शिवानन्द रमौल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सुकेत के राजा को एक नोटिस द्वारा अड़तालीस घंटों के अंदर अपनी रियासत को भारतीय संघ में विलय करवाने की सलाह दी गई।

फरवरी 18 के बाद की घटनाएं

डॉ. परमार ने ए.आई.एस.पी.सी. के एम.पी. भगवान को 13 फरवरी, 1998 को एक पत्र द्वारा सत्याग्रह की तैयारी और एक सुनियोजित प्रोपेगंडा की स्कीम पहले ही लिख भेजी थी। इसके परिणामस्वरूप 18 फरवरी, 1948 के पश्चात प्रैस में दिलचस्प एवं बाहरी दुनिया को हैरान करने वाली खबरें बराबर आती रहीं। कुछ मुख्य पंक्तियां 'पांगणा पर कल कब्जा', 'करसोग सत्याग्रहियों के अधीन' और 28 फरवरी को स्टेटस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भेजे संदेश में कहा गया कि सत्याग्रही सुकेत की राजधानी से केवल 3 मील दूर हैं।

इसमें दिलचस्प बात यह है कि सुकेत सत्याग्रह 8 मार्च तक चलता रहा जबकि 2 मार्च, 1948 को टिहरी गढ़वाल तथा कुछ अन्य रियासतों को छोड़कर सभी रियासतें भारतीय संघ में विलय के लिए मान गई। 'द ट्रिब्यून' ने एक लेख द्वारा यह और स्पष्ट किया कि जिस नाटकीय तरीके और क्रांतिकारी तीव्रता से सुकेत सत्याग्रह की चौंकाने वाली खबरें बाहरी दुनिया तक पहुंची उससे यह साफ नजर आता है कि यह एक सुनियोजित प्रोपेगंडा था। इस पूरे सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों को कोई सैनिक गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ए.आई.एस.पी.सी. की भी इस सत्याग्रह को सहमति थी तथा यह 'बघाट केमोफ्लैज' (सोलन मीटिंग' के खिलाफ एक कदम था। स्टेट्स मंत्रालय के श्री सी.सी. देसाई ने सुकेत के राजा को एक तार द्वारा सत्याग्रहियों का गतिरोध न करने को कहा था।

पहाड़ी रियासतों के विलय के लिए भारत सरकार की सोच

यह सारी घटनाएं भारतवर्ष की आजादी के एक साल बाद घट रही थी। श्री सी.सी. देसाई ने श्री के.एम. पन्नीकर को लिखे एक पत्र में हिमालयन स्टेट्स के प्रति भारत सरकार में चल रही सोच को स्पष्ट किया। सरकार के पास इन रियासतों के भविष्य को लेकर चार रास्ते थे' एक इन रियासतों को पूर्वी पंजाब व दो, उत्तर प्रदेश में मिलाया जाये। तीन, इनकी एक यूनियन आफ स्टेट्स बनाई जाये तथा चौथा सारी रियासतों का भारत संघ में विलय कराकर एक केन्द्र शासित प्रांत बनाया जाये। पहले दो विकल्प इसलिए व्यवहारिक नहीं थे, क्योंकि पहाड़ी जनता के हित मैदानी इलाकों के लोगों से मेल नहीं खाते थे। तीसरे विकल्प पर इसलिए विचार नहीं किया गया कि चैम्बर स्टेट्स दूसरी स्टेट्स के साथ यूनियन बनाना पसंद नहीं करेंगी। इसलिए केवल आखिरी विकल्प ही व्यवहारिक एवं पहाड़ी जनता के हितों के अनुरूप था। इस क्षेत्र को स्वायत प्रांत इसलिए नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि केन्द्र सरकार के विचार में यहां आर्थिक एवं प्रशासनिक पिछड़ापन था। श्री एम.के. वलादी (स्टेट्स मंत्रालय) ने एक पत्र द्वारा केन्द्र सरकार का इरादा शासकों को लिखे एक पत्र द्वारा स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र को केन्द्र शासित क्षेत्र में संगठित करना है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश होगा।

रेजिडेंट कमिश्नर, पंजाब स्टेट्स को 18 फरवरी, 1948 को एक तार द्वारा स्टेट्स मंत्रालय ने पहाड़ी रियासतों के राजाओं के विलय सम्बन्धी मसले पर बातचीत के लिए बुलावा भेजा। 2 मार्च को हुई बैठक में शासकों ने रियासतों के विलय के लिए सहमति दे दी। विलय के उपकरणों पर उन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिये थे। पर विलय के मसौदे पर दस्तखात नहीं किये। शासकों ने 5 मार्च को एक बैठक की और तत्पश्चात् श्री सी.सी. देसाई से मिलकर यह शर्त सामने आई कि इन रियासतों को पूर्वी पंजाब में किसी भी हालत में न मिलाया जाये। 6 मार्च को राजा बघाट ने एक पत्र डीओ नं. 531/एचपी के द्वारा स्टेट्स मंत्रालय के सम्मुख कुछ एक शर्तें रखी जिसमें हिमाचल प्रदेश को पूर्ण स्वतन्त्रता एक जिम्मेदार सरकार, शासकों के खिलाफ कोई जांच न हो, पूजा स्थलों पर अधिकार इत्यादि शामिल थी।

रियासतों का विलय

इन शर्तों के साथ ही 8 मार्च, 1948 को भारत सरकार एवं शासकों के बीच विलय के मसौदे पर दस्तखत किये गये। इसके तहत विलय की गई रियासतों से एक केन्द्र शासित प्रदेश का गठन करके जो ले. गवर्नर के अधीन हो तथा इसके साथ एक तीन शासकों की सलाहकार समिति के गठन जैसे महत्वपूर्ण विषय थे।

पन्द्रह अप्रैल, 1948 को 'दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन आर्डर 1948' के तहत हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसमें बाघल, बघाट, बलसन, बेजा, भज्जी, बुशहर, चम्बा, दरकोटी, धामी, जुब्बल, क्योंथल, कुमारसैन, कुनिहार, कुठाड़, महलोग, मांगल, शांगरी, सिरमौर, सुकेत तथा थरोच रियासतों एवं इनकी 9 जागीरें देलट, दाड़ी, घूंड, खनेटी, कोटी, मधाल, रतेश, रांवीगढ़, ठियोग शामिल की गई। पर हिमाचल प्रदेश का जो आकार इस गठन पर उभरा वो पूर्वी पंजाब एवं पैप्सू थे।

इस मसौदे के बाद यद्यपि इन रियासतों के भविष्य का फैसला हो गया पर यहां पर जो संवैधानिक ढांचा प्रस्तावित किया गया। वे एक शुरूआती प्रक्रिया में ही था। सरदार पटेल के निजी सचिव श्री वी. शंकर द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को चरणबद्ध ढंग से भारत का स्वायत प्रांत बनाने का है और यह उद्देश्य दो चरणों में पूरा किया जायेगा। पहले केन्द्र शासित क्षेत्र के जरिये इस क्षेत्र के आर्थिक स्रोत तथा इसके प्रशासनिक ढांचे को किन अन्य क्षेत्रों जैसा विकसित किया जायेगा।

अनिच्छुक रियासतें

कुछ रियासतें विलय के मसौदे के प्रति उदासीन थी। इनमें बिलासपुर, दरकोटी, टिहरी, चम्बा, मण्डी और सिरमौर मुख्य रियासतें थीं। चम्बा पूर्वी पंजाब में मिलने की इच्छुक थी। नालागढ़ ने फूलकियन स्टेट्स यूनियन को अपनाया। मण्डी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहती थी तथा बिलासपुर काफी समय से स्वाधीन कहलूर' बनाने की जिद पर अड़ी थी। टिहरी की स्थिति भिन्न थी। 1947 में टिहरी गढ़वाल प्रजामण्डल के पूर्णानन्द के अध्यक्ष बनने के बाद हिमालयन रियासतों हिल स्टेट्स रीजनल कांफ्रैंस दो फाड़ हो गयी तथा इसके साथ ही टिहरी गढ़वाल प्रजामण्डल हिमाचल में मिलने के प्रति भी उदासीन हो गया। कुछ प्रजामण्डल नेता टिहरी को उत्तर प्रदेश में विलय करने के लिए आवाज उठा रहे थे। उन दिनों ही बनारस एवं रामपुर की रियासतों का मसला स्टेट्स मंत्रालय के लिए सिरदर्द बना हुआ था। श्री सी.सी. देसाई ने 2 मार्च एवं 8 मार्च को पहाड़ी रियासतों के राजाओं को कह दिया था कि टिहरी गढ़वाल को प्रस्तावित राज्य (हिमाचल प्रदेश) में नहीं मिलाया जायेगा। 26 अप्रैल, 1948 को स्टेट्स मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने अपने एक नोट के जरिये टिहरी गढ़वाल की जनता के मूढ़ को इस तरह दर्शित किया '...टिहरी गढ़वाल. ..हिमाचल में मिलाई जानी चाहिए। मेरी यह सूचना है कि राजा और प्रजा सभी उत्तर प्रदेश की बजाये हिमाचल प्रदेश में जाना पसंद करते हैं।' इसके विपरीत इस रियासत को उत्तर प्रदेश में मिलाया गया।

हिमाचल प्रदेश का गठन

पन्द्रह अप्रैल, 1948 को 'दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन आर्डर 1948' के तहत हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसमें बाघल, बघाट, बलसन, बेजा, भज्जी, बुशहर, चम्बा, दरकोटी, धामी, जुब्बल, क्योंथल, कुमारसैन, कुनिहार, कुठाड़, महलोग, मांगल, शांगरी, सिरमौर, सुकेत तथा थरोच रियासतों एवं इनकी 9 जागीरें देलट, दाड़ी, घूंड, खनेटी, कोटी, मधाल, रतेश, रांवीगढ़, ठियोग शामिल की गई। पर हिमाचल प्रदेश का जो आकार इस गठन पर उभरा वो पूर्वी पंजाब एवं पैप्सू थे। अत: क्षेत्र एवं आंतर निवास से पूरी विच्छेदित था। चम्बा बाकी हिमाचल प्रदेश से कटा हुआ था। शिमला भी पंजाब का हिस्सा था।

हालांकि काफी अंत क्षेत्र एवं आंतर निवास जैसे डलहौजी, बकलोह, कोटखाई, कोटगढ़ इत्यादि हिमाचल में विलय किए गये पर हिमाचल प्रदेश के सही स्वरूप और आकार का सफरनामा 1966 में विशाल हिमाचल की स्थापना के पश्चात् ही सफल हुआ जब कांगड़ा, लाहौल स्पीति तथा शिमला हिमाचल में मिलाये गये।

प्रजामण्डल की हिमालय क्षेत्र में अलग प्रांत की मांग स्वाभाविक थी। पर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्ज कांफ्रेंस (प्रजामण्डलों का केन्द्रीय संगठन) ने कहा कि रियासतों का भारत गणराज्य में विलय करने के बाद जो प्रांत गठित किये जाये उनकी जनसंख्या 20 लाख, राजस्व 50 लाख से ज्यादा एवं उनका प्रशासनिक ढांचा आधुनिक प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता हो।